08-08-2018

प्रेस विज्ञप्ति

आरक्षी ना0पु0 (पुरूष/महिला) एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती–2018 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा प्रदेश के 56 जनपदों के 860 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 18 एवं 19 जून, 2018 को 02 पालियों में आयोजित करायी गयी थी। परीक्षा आयोजित होने के 02–03 दिनों के बाद कतिपय स्थानों से यह सूचना आयी कि प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में जो प्रश्न–पत्र वितरित किये गये हैं, उनमें अन्तर नहीं था, बल्कि एक ही प्रश्न–पत्र दोनों पालियों में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था से सूचना मांगी गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में चूँकि ओ.एम.आर.शीट के स्कैनिंग का कार्य प्रचलित है, अतएव पूर्ण सूचना दिये जाने में समय लगने की सम्भावना है, लेकिन प्रथम दृष्ट्या यह सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो केन्द्र पर्यवेक्षकों एवं अन्य माध्यमों से भी यह सूचना प्राप्त हुई होती।

इसी बीच मा0 उच्च न्यायालय में इस आशय की कतिपय याचिकायें दाखिल की गयीं। कार्यदायी संस्था द्वारा ओ.एम.आर.शीट के स्कैनिंग का कार्य समाप्त होने के बाद सभी 860 परीक्षा केन्द्रों की गहन समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि जनपद इलाहाबाद के परीक्षा केन्द्र "गुरू माधव प्रसाद शुक्ला इण्टर कालेज" में दिनांकः 18 जून, 2018 को प्रथम पाली में द्वितीय पाली की पेटी खोलकर और द्वितीय पाली में प्रथम पाली की पेटी खोलकर प्रश्न'पत्र वितरित किये गये तथा इसी प्रकार 19 जून 2018 को जनपद एटा के "श्री पी.पी.एस. कालेज" में प्रथम पाली में द्वितीय पाली और द्वितीय पाली में प्रथम पाली का प्रश्न–पत्र वितरित किया गया।

बोर्ड को यह सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड में नियुक्त अनु सचिव, भर्ती–III द्वारा इसकी जॉच कराये जाने पर उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई।

बोर्ड ने सभी तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए पाया कि यद्यपि ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट रूप से समक्ष नहीं है, जो यह बताता हो कि किसी व्यक्ति को वस्तुतः द्वितीय पाली के प्रश्न–पत्र पूर्व से ही मालुम हुए हों, किन्तु परीक्षा की शुचिता बनाये रखने एवं पूर्ण पारदर्शिता हेतु दिनांकः 18 एवं 19 जून, 2018 को **द्वितीय पाली** में प्रदेश के समस्त 860 परीक्षा केन्द्रों पर हुई परीक्षा को **निरस्त कर पुनः परीक्षा कराया** जाना उचित होगा।

इस सम्बन्ध में –

– **"एम.ओ.यू." का उल्लंघन** पाये जाने के कारण कार्यदायी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का भी निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है।

– उपरोक्त कृत्य के लिए पेटी खोलने के जिम्मेदार **केन्द्र व्यवस्थापक, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि** व **पुलिस पर्यवेक्षक एवं अन्य** के विरूद्ध अपराधिक मामले के दृष्टिगत सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने का निर्णण लिया गया है।

– सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में इस कृत्य के लिए उनके निलम्बन के साथ उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही कराये जाने की भी अपेक्षा बोर्ड द्वारा की गयी है।

– इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक (जनपदीय नोडल अधिकारी) से प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या लापरवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा बोर्ड द्वारा की गयी है।

– उपरोक्त दोनों परीक्षा केन्द्रों को भविष्य में परीक्षा **केन्द्र न बनाये** जाने का निर्णय भी बोर्ड द्वारा लिया गया है। साथ ही शासन को इस आशय की संस्तुति भेजी जा रही है कि इन केन्द्रों पर अन्य परीक्षाएं भी न कराई जायं।